## —:: राज्य विशेष शाखा राजस्थान, जयपुर ::—

क्रमांकः—न—5 ( ) पुविशा/संस्था./कानि. भर्ती—21/नियुक्ति/2023/ 3975 दिनांकः— 2-5-2023

### —:: आदेश ::—

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक नं.5(02)पु.फो./कानि0भर्ती/2021/2300 दिनांक 29.10.2021 व संशोधित विज्ञप्ति 2305 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा सी.आई.डी. इन्टेलीजेंस के लिये कानिस्टेबल सामान्य ड्यूटी—304 एवं कानिस्टेबल चालक—34 रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापित कुल—338 पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 एवं पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 29/2021 दिनांक 03.09.2021 में निहित प्रावधानानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था।

तदोपरान्त पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 318 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा सी.आई.डी. (आईबी) की कॉन्सटेबल भर्ती—2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 1382 दिनांक 22.10.2022 के तहत गठित बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के स्टेडियम में दिनांक 04.11.2022 से 07.11.2022 तक शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कर चयन सूची तैयार की गई।

उक्त चयन सूची पर उपलब्ध निम्नलिखित चयनित अभ्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य जाये जाने एवं चरित्र सत्यापन/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/विशेष योग्यता/भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक/जाति, मूल निवास/आर्थिक पिछड़ा वर्ग इत्यादि मूल प्रमाण पत्रों का ऑन लाईन/ऑफ लाईन सत्यापन एवं पुलिस चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ—15 (1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम/2017 के नियम—16 शैड्यूल—IV में निहित प्रावधानुसार पारिश्रमिक रूपये 14600/— (अक्षरे चौदह हजार छः सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह पर इन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कॉन्सटेबल (सामान्य चालक) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/कार्य ग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता व विशेष भत्ता आदि) देय नहीं होगें तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार होगी।

यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, राजस्थान सेवा नियम—1951 एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन रहेगी।

### कॉन्सटेबल चालक पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों का विवरण—द्वितीय सूची

| क्र.सं. | रोल नम्बर | नाम अभ्यार्थी मय पिता का नाम | स्थाई पता | जन्म तिथि | शिक्षा | लिंग | जाति | मूल वर्ग | चयन वर्ग | चयन सूची क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332295410 | सुनील सहारण/ लीलाधर सहारण | गांव—चक दईदासपुरा, पो. अरडकी, तह. नोहर, जिला हनुमानगढ 335523 | 05.06.1996 | बीए | पुरूष | जाट | GEN | GEN-M-2 | 2 |

2.5.23

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 332234080 | रामवतार शर्मा / गणपत लाल शर्मा | 62, कम्हारों का मौहल्ला, नैतियास, तह. परबतसर, जिला नागौर–341503 | 15.10.1998 | बीएस सी | पुरूष | ब्राह्मण | GEN | GEN-M-3 | 3 |
| 3 | 332319524 | विनोद कुमार जाट / पृथ्वी राज जाट | गांव देवपुरा, तह. राशमी, थाना राशमी, जिला चित्तोड़गढ–312203 | 14.07.1998 | बी.कॉम | पुरूष | जाट | OBC | GEN-M-5 | 6 |
| 4 | 332137050 | रिछपाल / डुंगा राम | गांव–अखेपुरा, पोस्ट लोरोली, तहसील मकराना, जिला नागौर– 341502 | 01.12.1995 | बीए | पुरूष | जाट | OBC | GEN-M-8 | 9 |
| 5 | 332285020 | अजीत चौधरी / रामचन्द्र चौधरी | वार्ड नं. 03, तेजा चौक कालेसरा, पो. कालेसरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर 305204 | 15.06.2000 | बीए | पुरूष | जाट | OBC | GEN-M-9 | 10 |
| 6 | 332315717 | शैताना राम चौयल / रामप्रसाद चौयल | ग्राम–रामपुरा 'अ', पो. दूगोली, तहसील जायल, जिला नागौर 341023 | 10.07.1997 | बीए | पुरूष | जाट | OBC | GEN-M-11 | 12 |
| 7 | 332102392 | प्रदीप कुमार बेड़ा / सोदान राम | गांव व पो. निम्बड़ी, तहसील मकराना, जिला नागौर 341501 | 01.07.1999 | बीए | पुरूष | जाट | OBC | GEN-M-12 | 13 |
| 8 | 332251961 | राहुल / देव करण | गांव– ढंढार, पो. कुल्हरियों का बास, तह. सूरजगढ़, थाना मण्ड्रेला, जिला झुन्झुनू– 333031 | 10.07.1996 | एम.ए. | पुरूष | जाट | OBC | GEN-M-13 | 14 |
| 9 | 332194944 | दीपक कुमार शर्मा / शंकर लाल शर्मा | ग्राम– होदायली, पोस्ट बिशनपुरा, तहसील सैंथल, जिला दौसा–303507 | 05.07.1996 | बीए | पुरूष | ब्राह्मण | GEN | EWS-M-2 | 15 |
| 10 | 332113221 | विनय कुमार नायक / शम्भुदयाल नायक | 12442, आगरा रोड़, नायकों का टीबा, घाट की गूणी, जिला जयपुर–302004 | 12.03.1992 | बीए | पुरूष | नायक | SC | SC-M-2 | 19 |
| 11 | 332368539 | प्रमोद कुमार / जग्गू राम | गांव नीम की ढाणी बामलास, वार्ड नं0 14, पोस्ट बामलास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनू 333022 | 26.09.1984 | 12वीं | पुरूष | जाट | OBC | OBC-M-EX-1 | 20 |

2.5.23

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 332173500 | योगेश कुमार गोठवाल / रमेश चन्द गोठवाल | ग्राम व पोस्ट गादोज, तहसील बहरोड़, जिला अलवर– 301701 | 27.06.1992 | एम.ए. | पुरूष | चमार | SC | SC-M-5 | 24 |
| 13 | 332208211 | भरत सिंह खंगारोत / हिम्मत सिंह खंगारोत | गांव व पोस्ट घटियाली, तहसील फागी जिला जयपुर–303005 | 15.09.1983 | 12वीं | पुरूष | राजपूत | GEN | GEN-EX-2 | 30 |
| 14 | 332186638 | पूरण मल मुक्कड़ / महावीर प्रसाद मुक्कड़ | गांव– खेड़की मुक्कड़, पो. पनियाला, तह. कोटपूतली जिला जयपुर 303108 | 15.02.1987 | एम.ए. | पुरूष | गुर्जर | MBC | MBC-M-EX- | 32 |
| 15 | 332103830 | मन्जु चौधरी / सीता राम | गांव व पो.– उबासी, तह. जायल, थाना बड़ी खाटू, जिला नागौर–341030 | 04.05.1994 | बीए | महिला | जाट | OBC | GEN-F-4 | 33 |

**उपरोक्त अभ्यर्थियों की कॉस्टेबल पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी:–**

1– दो वर्ष की परिवीक्षा काल अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात् स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी / रूल्स / 2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स में लेवल–5, सेल–1 में नियमित वेतन निर्धारण रूपये 20800 /– किया जाकर नियमानुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियॉं की जावेंगी।

2– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी / रूल्स / 2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शैड्यूल–IV (नियम–16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल के दौरान प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे में जमा नहीं किया जावेगा।

3– महिला कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम– 1951 के नियम–103 एवं 104 के तहत् प्रसूति अवकाश देय होगा तथा पुरूष अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।

4– राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12 (3) एफडी / रूल्स / 2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।

5– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–5(5) एफडी / इंश्योरेन्स / 2020 दिनांक 09.04.2021 आदेश संख्या एफ–5(5) एफडी / इंश्योरेन्स / 2020 पार्ट–II दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2021 में वर्णितानुसार आर0जी0एच0एस0 योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियॉं की जायेगी।

6– राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ–13(3) एफडी / रूल्स / 2001 दिनांक 04.10.2001 एवं आदेश संख्या प–7(1)कार्मिक (क–2) / 95 / पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी के दो से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा पृथक किया जाएगा।

7– विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति / पत्नी रखने, अपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरूद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से ऐसे अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा।

8– विवाहित अभ्यर्थी अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अपने बच्चों के विवरण के संबंध में भी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। विवाह के समय दहेज नहीं लिया / दिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2-5-23

9— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कॉन्स्टेबल भर्ती—2021 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2305 दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या—12(III) में अंकितानुसार किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10— **समस्त नव नियुक्त अभ्यर्थी (i) दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े (ii) मैस एडवास राशि 5000/— (iii) कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2600/— लेकर दिनांक .05.05.2023 तक कार्यालय निदेशक, इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में अपनी उपस्थिति देंगें। उक्तानुसार निश्चित तिथि तक उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।**

11— राज्य सरकार के पत्रांक प—22(5)गृह—1/2016 पार्ट जयपुर दिनांक 16.08.2016 में वर्णित प्रावधानानुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12— उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई राजकीय सेवा में है तो नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी डिस्चार्ज/कार्यमुक्त आदेश आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होवें।

13— ड्यूटी ज्वाईनिंग के प्रयोजनार्थ अन्य किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**ईओबी नं0:—** 592
**दिनांक:—** 2-5-2023

sd
2-5-2023

(मनीष त्रिपाठी)
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1— श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टे0/सुरक्षा/भर्ती एवं पदोन्नति/प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर।
2— श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस (इन्टे0/सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3— उप महानिरीक्षक पुलिस (आसूचना/सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4— निदेशक, इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवावें तथा अभ्यर्थियों की आमद, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
5— सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड प्रथम, विशा जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के बैंक खाते राजस्थान पुलिस सैलेरी पैकेज में जुड़वाने तथा एम्पलॉई आईडी एवं प्राण नम्बर अतिशीघ्र जारी कराना सुनिश्चित करें।
6— ईओबी/निजी पत्रावली लिपिक, विशा जयपुर।
7— संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के **अनुसार अपनी उपस्थिति दिनांक .05.05.2023 तक** इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में देना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।